न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/08/2017	23–01–2017	16–05–2018

01–अरूण
02–सुधीर पुत्रान श्री मामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नारेडा कला तहसील बहरोड जिला अलवर
–: अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार बहरोड, जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड दिनांक 03.11.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 35/2016

उपस्थितः–

01–श्री सतीश चन्द जैन –वकील अपीलाण्ट

02–श्री जगदीश प्रसाद यादव –वकील प्रार्थी आर्डर 1 रूल्स 10

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 03.11.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नारेडा कला की सरकारी चारागाह भुमि खसरा नम्बर 417 रकबा 0.05 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नारेडा कला की सरकारी चारागाह भुमि खसरा नम्बर 417 रकबा 0.05 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 26.08..2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 417 चारागाह आराजी है जिसमें प्रार्थीगण व ग्रामवासियान के पशु चारा चरते है। अतः प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया है, कि अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 417 पर नही है खसरा नम्बर 417 अपीलान्ट के नाना की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 422 से लगता हुआ है जिस पर हम अपीलान्ट द्वारा पक्के मकानात बनाये हुए है। खसरा नम्बर 417 पर अपीलान्ट द्वारा कोई निमार्ण कार्य नही किया गया है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 द्वारा खसरा नम्बर 417 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताया गया है एवं तहसीलदार बहरोड द्वारा भी खसरा नम्बर 417 पर ही प्रार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण मानते हुए 91 एल0आर0एक्ट में कार्यवाही की है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 खारिज किया जाता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 417 पर है तो आदेश दिनांक 03.11.2016 यथावत रखा जावे और यदि अपीलान्ट का कब्जा खसरा नम्बर 422 पर है तो नियमानुसार पैमाइश करवाई जावे। प्रकरण इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (रा0)

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)